सत्यमेव जयते

राजस्थानसरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांकएफ.28( )पराවि/प्रशा.2/निरीक्षण/06/ई–22283/ जयपुर, दिनांक

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद समस्त।

विषयः–माननीय पंचायती राज मंत्री महोदय दिनांक 17.03.2026 को आयोजित बैठक में प्रदत्त निर्देशों की पालना किये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत मुख्य सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग के आदेश क्रमांकः–प. 5 (4) आरपीजी/ए.एस/2020 दिनांक 19.04.2022 एवं विभागीय पत्रांक 521 दिनांक 29.4.2022 तथा विभागीय राजकाज पत्रांक 21072797 दिनांक 16.3.2026 जारी कर आमजन की परिवेदनाओं/समस्याओं की सुनवाई एवं त्वरित समाधान हेतु त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई जाकर विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किया जाकर उक्त दिशा–निर्देशों की अक्षरशः पालना करते हुए जन–सुनवाई की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त की निरन्तरता में दिनांक 17.03.2026 को आयोजित बैठक में माननीय मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग द्वारा निर्देशित किया गया है कि ''ग्राम स्तर पर प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को नियमित रूप से जनसुनवाई का आयोजन किया जावेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में जनसुनवाई हेतु सबसे कम जनसंख्या वाले ग्राम का सर्वप्रथम चयन किया जावे। इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी 2 माह में कम से कम एक बार तथा खण्ड विकास अधिकारी माह में कम से कम एक बार आवश्यक रूप से जन–समस्याओं के समाधान की मॉनिटरिंग किया जाना सुनिश्चित करेंगें।''

अतः उपरोक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना किया जाना सुनिश्चित करावें।

(डॉ. जोगा राम)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्राविपंरा, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर।
4. जिला कलक्टर, समस्त।
5. सयुंक्त निदेशक,(मों.) मुख्यालय।
6. विकास अधिकारी, समस्त पंचायत समिति।
7. उप निदेशक(एसीपी), मुख्यालय।
8. निजी पत्रावली/आदेश पत्रावली।

Signature Not Verified

Digitally signed by Joga Ram
Designation : Secretary To Government
Date: 2026.03.25 18:12:57 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21250589